अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फ़रवरी, 2015

का.आ. 475(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 29.03.2007 की अधिसूचना सं0 **का**०आ0 466 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 'बाल कल्याण के लिए दिल्ली परिषद, कुदिसिया बाग, यमुना मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054" द्वारा "आंगनवाड़ी कमगोरों का प्रशिक्षण केंद्र, विकलांग बच्चों के लिए विकलांग चिकित्सा केंद्र, पड़ोसी राज्यों के लिए विकलांग संबंधी आउटरीच कार्यक्रम, मंदबुद्धि बच्चों के लिए बात चेतना कार्यक्रम, गंदी बस्ती और पुनर्वास क्षेत्रों के लिए क्रेच कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पालना गोद लेना कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम, सहायक सेवाए" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में क्रम सं0 34 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. सां. आ. 640(अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया; और जिसे बाद में दिनांक 17.10.2013 की अधिसूचना सं. **का**.आ. 3033(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि 10.83 करोड़ रुपए की परियोजना लागत को 16.26 करोड़ रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के

नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना की लागत को 10.83 करोड़ रुपए, से 16.26 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 29.03.2007 की उक्त अधिसूचना सं. सां. आ. 466 (अ0) को निम्नलिखित आशय के लिए संशोधित करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (34), कालम (4) के सामने सारणी में, "10.83 करोड़ रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "16.26 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

[सं. 105/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)